


फर्द अहकाम

रमेश चन्द बनाम सरकार

संख्या: 150 / 2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.4100 है०, खसरा नम्बर 1770 रकबा 0.3300 है०, खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.7400 है०, खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.2100 है०, खसरा नम्बर 1916 रकबा 0.2200 है०, खसरा नम्बर 1917 रकबा 0.0700 है०, खसरा नम्बर 2003 रकबा 0.2840 है०, खसरा नम्बर 20046 रकबा 0.0100 है० कुल किता 8 रकबा 2. 27 है०, वाके ग्राम बीलवा कला, पटवार हल्का बीलवा कला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनैर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित हैं। जो राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी व प्रार्थी के सहखातेदारान के नाम से अंकित हैं। जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/6 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे सहवन से प्रार्थी का नाम रमेश चन्द मीना के स्थान पर रामू अंकित हो गया जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रमेश चन्द मीना ही हैं। प्रार्थी का नाम प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजो मे रमेश चन्द मीना परन्तु उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम रमेश चन्द मीना की जगह रामू अंकित कर दिया जो गलत हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रामू पुत्र गोपी के स्थान पर रमेश चन्द मीणा पुत्र गोपी अंकित किये जाने के आदेश किये जावें।</p> <p>बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बीलवा कला, पटवार हल्का बीलवा कला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनैर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित खसरा नम्बर 1629, 1770, 1771, 1912, 1916, 1917, 2003, 20046 कुल किता 8 में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे रामू पुत्र गोपी के स्थान पर रमेश चन्द मीणा पुत्र गोपी अंकित किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

